न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 23/2025

बउनवान

हंसराज मीणा आयु 45 साल पुत्र श्री भीमसिंह मीणा निवासी नयागांव थाना अटरू जिला बारां राज० उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत ननावदा FPS Code 7066 (अपीलांट)

बनाम

जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.) (रेस्पोंडेंट)

अपील अंतर्गत धारा 6–ग आवश्यक वस्तू अधिनियम 1955 अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 14/07/2025 प्रकरण संख्या 25/2024 कार्यालय जिला आपूर्ति अधिकारी बारां

उपस्थिति :–1. श्री सत्येन्द्र शर्मा अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार रसद (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 29.09.2025

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 14.07.2025 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा 6–ग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की पेश की है कि यह कि प्रार्थी ग्राम पंचायत ननावता तहसील अटरू जिला बारां मे उचित मूल्य दुकानदार का कार्य करता है तथा प्रार्थी का लाइसेन्स नंबर 38/12 है तथा प्रार्थी का उचित मूल्य दुकानदार पॉस कोड 7066 है। प्रवर्तन निरीक्षक बारां ने दिनांक 21/02/2024 प्रार्थी अपीलांट की दुकान पर निरीक्षण किया तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर जिला आपूर्ति अधिकारी बारां को जांच रिपोर्ट प्रेषित की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपीलान्ट को जिला रसद अधिकारी ने वास्ते जांच तलब कर 4/3/2024 को कार्यालय मे उपस्थिति देने हेतु पाबंद किया था। दिनांक 12/03/2024 को रेस्पो० / अप्रार्थी कार्यालय जिला आपूर्ति अधिकारी के यहां प्रार्थी उपस्थित हुआ और उक्त प्रकरण कमांक 25/2024 में अपना जवाब पेश किया। अपने जवाब में प्रार्थी अपीलांट ने अंकित किया कि विभागीय पोर्टल द्वारा सितम्बर 2016 मे पोस मशीन पर गलत स्टॉक चढ जाने के कारण विभागीय पोर्टल मे 70 क्विंटल गेहूँ का अधिक स्टॉक दर्शाया गया था जो वर्तमान में भी 70 क्विंटल अधिक पॉश मशीन मे इन्द्राज चला आ रहा है। प्रार्थी /अपीलान्ट ने उसी समय इस संदर्भ मे जिला आपूर्ति अधिकारी बॉरां को नियमानुसार लिखित एवं मौखिक रूप से सूचना प्रेषित कर दी थी । दिनांक 22/05/2024 को प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया था तथा प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 07/01/2025 का अवलोकन एंव परीक्षण के उपरान्त जिला आपूर्ति अधिकारी ने दिनांक 22/01/2025 को प्रार्थी अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया था। दिनांक 14/07/2025 को अपीलान्ट को बिना सुनवायी का अवसर दिये ही [illegible] की दुकान का पुनः भौतिक सत्यापन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:01 IST
Reason: SelfAttested

मूल्य दुकानदार पॉस कोड 7066 है।

दिये बिना राजनैतिक दबाव के चलते तथा पारिवारिक द्वेषता के चलते उक्त संपूर्ण कार्यवाही को अंजाम दिया गया है जो विधितः न्यायोचित नही है तथा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से जिला आपूर्ति अधिकारी का आदेष दिनांक 14/7/2025 निरस्त किए जाने एंव प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाने योग्य है। संपूर्ण कार्यवाही एकतरफा एंव द्वेषतापूर्ण है । कार्यवाही से पूर्व आवश्यक वस्तू अधिनियम के प्रावधानो की पालना नहीं की गई है। उक्त अधिनियम के प्रावधानो की पालना के अभाव मे उक्त कार्यवाही पूर्णतया दूषित होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलान्ट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (कन्ट्रोल) के प्रावधानो की अवज्ञा नही की है तथा पूर्ण पालना करते हुए ईमानदारी से अपना कार्य करते हुए उचित मूल्य दुकान का संचालन करता चला आ रहा है। अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता ने आज तक किसी प्रकार की शिकायत नही की है क्योकि किसी भी उपभोक्ता को प्रार्थी अपीलान्ट ने आज तक शिकायत का अवसर नही दिया है। अपीलान्ट प्रार्थी अपनी उचित मूल्य दुकान को विगत 13 वर्षों से ग्राम पंचायत ननावता मे पूर्ण निष्ठा एव ईमानदारी के साथ संचालित करता आ रहा है महज ग्राम पंचायत ननावता का सरपंच प्रार्थी अपीलान्ट से राजनैतिक एंव व्यक्तिगत द्वेषता रखता है इस कारण उसके द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध झूठी शिकायते कर तीन बार प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निलंबित करवा चुका है परन्तू विभाग द्वारा बाद जांच सही पाये जाने पर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर जिला आपूर्ति अधिकारी बारां का आदेश दिनांक 14/7/2025 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल फरमाने की कृपा करे।

2— अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की सुनी गयी।

3— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर उक्त आदेश की धारा 8(2) का उल्लंघन करते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र अपीलाधीन आदेश से निरस्त कर दिया जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ कार्यालय मे अपीलांट ने दिनांक 12/03/2024 को जवाब पेश किया। जवाब में प्रार्थी ने अंकित किया कि विभागीय पोर्टल द्वारा सितम्बर 2016 मे पोस मशीन पर गलत स्टॉक चढ जाने के कारण विभागीय पोर्टल मे 70 क्विंटल गेहूँ का अधिक स्टॉक दर्शाया गया था जो वर्तमान में भी 70 क्विंटल अधिक पॉश मशीन मे इन्द्राज चला आ रहा है। प्रार्थी ने उसी समय इस संदर्भ मे जिला आपूर्ति अधिकारी बारां को नियमानुसार लिखित एवं मौखिक रूप से सूचना प्रेषित कर दी थी । दिनांक 22/05/2024 को प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया था तथा प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 07/01/2025 का अवलोकन एंव परीक्षण के उपरान्त जिला आपूर्ति अधिकारी ने दिनांक 22/01/2025 को प्रार्थी अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया था। दिनांक 14/07/2025 को अपीलान्ट को बिना सुनवायी का अवसर दिये ही व अपीलान्ट की दुकान का पुनः भौतिक सत्यापन किये बिना राजनैतिक दबाव के चलते तथा पारिवारिक द्वेषता के चलते उक्त संपूर्ण कार्यवाही को अंजाम दिया गया है जो विधितः न्यायोचित नही है तथा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से जिला आपूर्ति अधिकारी का आदेश दिनांक 14/7/2025 निरस्त किए जाने एंव प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:01 IST
Reason: SelfAttested

मूल्य दुकानदार पॉस कोड 7066 है।

4— इसके विपरीत पेरोकार रसद ने अपीलांट-अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ कार्यालय में उपस्थित रहा तथा अपीलांट द्वारा जवाब नोटिस भी प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार अधीनस्थ कार्यालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा उनके द्वारा नियमानुसार ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र बिना सुनवाई किये निरस्त कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 8 (2) का उल्लंघन किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा दिनांक दिनांक 22/05/2024 को प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया था तथा प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 07/01/2025 का अवलोकन एंव परीक्षण के उपरान्त जिला आपूर्ति अधिकारी ने दिनांक 22/01/2025 को प्रार्थी अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया था। अधीनस्थ कार्यालय पत्रावली की आदेशिका दिनांक 28/02/2025 को अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवायी हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये परंतु जारी नोटिस की तामीलशुदा प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। इससे अपीलांट का यह कथन प्रमाणित है कि बिना सुनवायी का अवसर दिये अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 38/2012 दिनांक 14.07.2025 को निरस्त किया गया है। अधीनस्थ कार्यालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नहीं देकर, प्राधिकार पत्र निरस्त कर त्रुटि की है।

6— अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा अपीलांट के विरूद्व जारी प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण आदेश दिनांक 14.07.2025 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 38/2012 बहाल किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला रसद अधिकारी, बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:01 IST
Reason: SelfAttested